

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

E-TENDER FORM

E-Tender For Security Work For Udaipur Milk Union
(Tender Notice No. : UDUSS/ENGG./26-27/1612 Dated :- 18.09.26)

E-Tender is invite by UDUSS Ltd. for the Tender work as detailed below:

SN	Particular	Description
1.	Tender Work	Security Work For Udaipur Milk Union
2.	Tender Reference	18/2026-27
3.	Tender cost (Approximately in Rs)	125 Lacs
5.	Tender Period	One Year
6.	Earnest Money (DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)	Rs 2,50,000/-
7.	Tender form fees (DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)	Rs 1,180/-(incl.GST)
8.	E-Tender processing fee (DD in favour of MD, RISL, Jaipur)	Rs 1,500/-
9.	Date for downloading E-tender form (from govt site http://eproc.rajasthan.gov.in)	From 19.09.2026 at 11:00 AM
10.	Date and Time for Pre Bid Meeting	Date 24.09.2026 From 02:00 PM to 03:00 PM at Udaipur Dairy Plant
11.	Last Date & time for uploading tender form & required documents	09.10.2026 up to 11:00 AM
12.	Date & time of submission of Demand draft at Udaipur Milk Union Office for Tender Form Fee, EMD & E-tender Processing Fee in physical form.	10.10.2026 up to 11:00 AM
13.	Date & time of opening of Technical or Pre Qualification bid (Part-I)	Date 12.10.2026 at 12:00 PM
14.	Date & time of opening of Financial bid (Part-II)	To be informed later
15.	Tender Opening Place	<u>Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited,</u> Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur

Note : Tenderer should fill tender rate as % Service charges online in prescribed format (.xls BOQ format of PART II).

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Instructions for uploading E-tender form & documents:-

1. Submission of E-Tender Form & Document: (Only through Online procedure)

Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. **PART I & PART II (unpriced & priced).**

PART I: Before Uploading UNPRICED TENDER PART I, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including e-Tender form, Conditions of Contract & mandatory required documents Like License, Registration copy certificates mentioned in tech. part I serial No. 8 (A to Y) & other relevant documents etc. (duly digitally signed by tenderer) & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees (DD/pay order) are ready for uploading.

If scan copy of all above documents (Clearly visible) are not uploaded with Part-I of Tender form, Part-II of that tenderer will not be opened/consider for finalization of the tender work.

Tender has to ensure Submission of Demand Drafts as under:

- a) Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee to be uploaded with Part I.
- b) Physical deposition of all three demand drafts before 11:00 AM of 10.10.2026 as specified in tender notice.

PART II: PRICED TENDER fill with Schedule of Rates duly filled online (only in prescribed format BOQ in .xls format), digitally signed on that page.

- (a) Interested Security Agency (tenderer) can download tender form from official website <http://eproc.rajasthan.gov.in>
- (b) Tenderer who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> To participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who have a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.

Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur

- (c) Tenderer shall submit their offer on line in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Udaipur Dairy, Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur) upto stipulated date & time mentioned in tender notice and document for physically submission of demand draft. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.
- (d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
- (e) The quoted rate should be filling (as % Service charges) in prescribed format of PART II of tender form (xls BOQ) only. If Tender rate less than 1% is not acceptable & tender will be disqualified.

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

गोवर्धन विलास, उदयपुर - 313002

फोन(ऑ.)0294-2640258,2640188 फैक्स : 0294-2640333

(तकनीकी भाग पार्ट I)

ई-निविदा फार्म सुरक्षा कार्य हेतू

निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/-

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ उदयपुर के नाम-

डी.डी/बैंकर चैक नं. :

दिनांक :

बैंक का नाम :

निविदा प्रोसेसींग शुल्क रु.1500/-

MD,RISL Jaipur के नाम-

डी.डी/बैंकर चैक नं. :

दिनांक :

बैंक का नाम :

अरनेस्ट मनी रु. 2,50,000/-

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ उदयपुर लि. के नाम-
(धरोहर राशि)

डी.डी/बैंकर चैक नं. :

दिनांक :

बैंक का नाम :

(उपरोक्तानुसार तीनों डीडी/बैंकर चैक की प्रतियों को पार्ट I के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।)

1. निविदा सूचना क्रमांक व दिनांक : क्रमांक/उदय/डेयरी/सुरक्षा/2026-27/.....दि.....
2. निविदा विषय : उदयपुर दुग्ध संघ पर सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतू ।

3. निविदादाता सुरक्षा संस्था का नाम :

(अ) स्थाई पत्राचार का पता

(संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें) :

(ब) टेलीफोन/मोबाईल संख्या

(संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें) :

(स) ई-मेल (e-mail ID) :

4. निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्रों/ लाईसेन्सों/पंजीयन/दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति को भरकर निविदा के पार्ट 'I' में अपलोड करें। समस्त लाईसेंस वेध अवधी के होने चाहिये :-

- (A) सुरक्षा संस्था/समिति का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट जो रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत हो को अपलोड करें। रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन संख्या :

- (B) द प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (रजी.) एक्ट 2005 एवं दी राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के तहत वैद्य लाईसेंस अपलोड करें। पंजीयन संख्या व वैधता दिनांक :
- (C) सुरक्षा संस्था में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता संख्या की प्रमाण की प्रतिलिपी अपलोड करें
- (D) श्रम विभाग अधिनियम एक्ट 1970 के तहत पंजीयन व कम से कम 100 कामगारे हेतु अनुमती संख्या अपलोड करें :
- (E) पी.एफ. कोड संख्या पंजीयन अपलोड करें :
- (F) ई.एस.आई कोड संख्या पंजीयन अपलोड करें :
- (G) आयकर स्थायी खाता संख्या अपलोड करें :
- (H) जी.एस.टी. संख्या अपलोड करें :
- (I) गत किन्ही तीन वर्षों (Financial Year 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25) के इनकम टैक्स रिटर्न व अंकेक्षित बेलेंस शीट एवं लाभ हानि खाते की प्रतिया अपलोड करें :
- (J) उपरोक्त तीन वर्षों की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट (With UDIN Number) अपलोड करें :
- (K) निविदादाता सुरक्षा संस्था / समिति के लेटर पेड पर ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में न होने का प्रमाणिकरण निविदा फॉर्म में दी गई प्रोफार्मा (Annexure C) रु. 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुसार भरकर अपलोड करें :
- (L) निविदादाता सुरक्षा संस्था / समिति के लेटर पेड पर निविदा फॉर्म में दिये गये अंडर टेकींग / शपथ-पत्र के प्रोफार्मा अनुसार भरकर अपलोड करें (Annexure B)
- (M) सुरक्षा संस्था / समिति द्वारा सुरक्षा टेंडर में भाग लेने के लिये अधिकृत व्यक्ति का नाम / मोबाईल / पहचान पत्र की प्रति अपलोड करें :
- (N) निविदादाता का कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये। (attach latest police verification)
क्या कोई अपराधिक रिकार्ड है : हाँ / नहीं
- (O) सुरक्षा संस्था / समिति का गत किन्ही तीन वर्षों (Financial Year 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 or 2024-25) का औसत टर्न ओवरर कम से कम **65.00 लाख** होना चाहिये। चार्टर अकाउटेन्ट द्वारा अंकेक्षित लाभ हानी खाते की प्रतिलिपी अपलोड करे (with UDIN Number)

- (P) सुरक्षा संस्था/समिति को किसी भी सहकारी/सरकारी संस्थाओं में कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिये, इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें ।
(अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड करें) :
- (Q) उदयपुर दुग्ध संघ में अथवा उसके संचालक मंडल में कार्यरत कर्मचारी /सदस्य से संबंध का उल्लेख करें
हाँ
नहीं
- (R) ई-निविदा सम्बन्धि तीनो डी.डी/बैंकर चैक (फॉर्म शुल्क रु.1180/-, प्रोसेसिंग शुल्क रु. 1500/- व धरोहर राशि रु. 2,50,000/-) को दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- (U) निविदा प्रपत्र में लगे Annexure 1 से 4 को भरकर अपलोड करें :

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट :-सफल निविदादाता को कार्यदेश से पूर्व मूल दस्तावेजों के रिकॉर्ड को स्वयं अथवा प्रतिनिधि द्वारा संघ कार्यालय में सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिये अतिरिक्त समय उपलब्ध नहीं होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त की जावेगी एवं कार्य आदेश नहीं दिया जावेगा तथा धरोहर राशि को जब्त किया जायेगा।

शपथ-पत्र
(फर्म/एजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

मैं, प्रोपराईटर/अध्यक्ष/पार्टनर/सचिव/.....
शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि हमारी सुरक्षा संस्था/समिति तथा इसके पदाधिकारियों पर भविष्य निधि/ई.एस.आई./सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. के तहत कोई बाकियात नहीं हैं एवं किसी भी प्रकार की जांच हमारे विरुद्ध लम्बित नहीं हैं।

मैंने निविदा पत्र के साथ संलग्न सभी सामान्य एवं विशेष शर्तों तथा आर. टी. पी. पी. एक्ट 2012 के तहत लगाये गए Annexure 1 से 4 का अध्ययन कर समझ लिया है एवं मैंने सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दिया है। मैं सुरक्षा संस्था का अधिकृत अधिकारी हूँ व मेरे हस्ताक्षर ही संस्था प्रतिनिधि के रूप में मान्य /स्वीकार्य है। संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जाना स्वीकार करता हूँ। उपरोक्तानुसार चाहे गये किसी भी दस्तावेज के अभाव में मेरा टेंडर निरस्त किया जा सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

गोवर्धन विलास, उदयपुर - 313002

फोन(ऑ.)0294-2640258,2640188 फैक्स : 0294-2640333

तकनीकी निविदा फार्म (भाग - " I ")

उदयपुर दुग्ध संघ पर सुरक्षा व्यवस्था कार्य की निविदा भरने एवं अनुबंध हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में विभाजित हैं। निविदा का प्रथम भाग तकनीकी (भाग- I) तथा निविदा का दूसरा भाग वित्तीय जो BOQ में भरा जाना है। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र के तकनीकी भाग " I " के साथ ई-निविदा सम्बन्धि तीनों डी.डी/बैंकर चैक (फॉर्म शुल्क रु. 1180/-उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., के नाम, प्रोसेसिंग शुल्क रु.1500/-MD, RISL के नाम व धरोहर राशि रु. 2,50,000/-उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के नाम) की प्रतियों को अपलोड करनी होगी एवं मूल तीनों डीडी को निर्धारित जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तक संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिसके अभाव में निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) को जमानत राशी (सिक्युरिटी मनी) के पेटे समामेलित कर दी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में निविदादाता संस्था एवं प्राधीकृत व्यक्ति को अपना पूरा नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
3. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में BOQ में स्पष्ट रूप से अंकित करके अपलोड करनी होगी।
4. किसी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र BOQ के बिना दी गई निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही, निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तों के अनुरूप ही देनी होगी। यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्त जोड़ता है तो वह मान्य नहीं होगी। निविदा स्वयं अथवा प्रमाणित प्रतिनिधी के माध्यम से निर्धारित दिनांक व समयावधि में ही अपलोड करनी होगी।
5. निविदादाता संस्था द्वारा ईटेंडर मे मांगे गये सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्व प्रमाणित फोटो प्रति निविदा प्रपत्र तकनीकी भाग " I " के साथ आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा। कमेटी के समक्ष अपलोड पत्रों का वेरीफिकेशन कमेटी सदस्यों द्वारा किया जावेगा। इनके अभाव में निविदा का वित्तीय भाग नहीं खोला जावेगा।
6. स्वीकृत/सफल सुरक्षा संस्था को ब्याज मुक्त धरोहर राशि रूपये 2,50,000/- (अक्षरे दो लाख पचास हजार मात्र) संघ में जमा कराने हगे। सफल निविदा की धरोहर राशि को जमानत राशि में परिवर्तित किया जा सकेगा एवं रूपये 7,50,000/- (अक्षरे सात लाख पचास हजार रु. मात्र) की बैंक गारण्टी राष्ट्रीयकृत बैंक से 18 माह की अवधि तक के लिए बनवाकर संघ को देनी होगी। अनुबन्ध अवधि में वृद्धि होने पर बैंक गारन्टी पुनः उपरोक्तानुसार नवीनीकृत करवाकर देनी होगी। धरोहर/जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

7. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार रुपये 5000/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा। अनुबन्ध अवधि में एक वर्ष की वृद्धि होने पर पुनः उपरोक्तानुसार अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा।
8. निविदादाता द्वारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र संस्था लेटर पेड पर ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के पार्ट "I" में अपलोड करना होगा। इसके अभाव में निविदा का वित्तीय भाग पार्ट "II" नहीं खोला जावेगा।
9. स्वीकृत सुरक्षा संस्था को किसी भी परिस्थिति में संघ द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध को किसी भी अन्य संस्था/ व्यक्ति को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो संस्था द्वारा तय की जाने वाली शारित आरोपित की जावेगी एवं निविदा भी निरस्त की जा सकेगी।
10. प्रबन्ध संचालक उक्त अनुबन्ध को संघ हित में बिना कारण बताये 15 दिवस के नोटिस पर समाप्त कर सकता है एवं प्रबन्ध संचालक को संघ हित में वर्तमान अनुबन्ध की किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तों में छूट देने एवं ठेकेदार की सहमती से शर्तों में परिवर्तन करने अथवा नई शर्त लागू करने का अधिकार होगा।
11. प्रबन्ध संचालक के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. टेंडर पार्ट I में कम संख्या 8 पर (A) से (U) में अंकित समस्त प्रमाण-पत्र/लाइसेंस/पंजीयन/दस्तावेज जैसे संस्था पंजीयन, श्रम विभाग, The Private Security Agencies (Reg.) Act. 2005 अथवा दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (विनियम) नियम 2006 का पंजीयन तथा भविष्य निधि व ई.एस.आई. का रजिस्ट्रेशन/कोड नम्बर इत्यादि समस्त अपलोड होने अनिवार्य है। इन समस्त वैध दस्तावेजों की फोटो प्रति तकनीकी भाग I के साथ आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। लाइसेंस वैध अवधि का होना चाहिये तथा अवधि पार नहीं हो। इनके अभाव में निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. सुरक्षा संस्था के अधीन कार्यरत समस्त सुरक्षा कर्मियों के वेतन भुगतान समय-समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, उदयपुर दुग्ध संघ द्वारा तय (Annexure-A) एवं श्रम कानूनों की अनुपालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की स्वयं की होगी।
14. सुरक्षा संस्था द्वारा पदस्थापित सुरक्षा कर्मियों की भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा। पूर्व माह के भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा सम्बन्धित जमा राशि के चालान की प्रतियां के प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
15. सुरक्षा संस्था द्वारा सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिक) को उदयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर (Annexure-A) के अनुसार वेतन राशि का भुगतान करना होगा एवं सिविल सुरक्षा कर्मियों को वेतन का भुगतान न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम में वर्णित दर / Annexure (A) से कम नहीं होना चाहिये तथा वेतन भुगतान रजिस्टर पर संघ द्वारा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। सुरक्षा कर्मियों को किये गये भुगतान का पूर्ण रिकार्ड रखना होगा एवं इसकी एक स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति बिल के साथ इस कार्यालय को देना होगी।
16. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भविष्य में सिविल वाले गार्ड की न्यूनतम मजदूरी/उदयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दरों में परिवर्तन करने पर तदानुसार स्वीकृत राशि में बढ़ाई एवं घटाई जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

17. संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा संस्था व संघ प्रबन्धन के साथ वार्तालाप उपरान्त निश्चित कर निर्धारित संख्या में सुरक्षा कर्मचारी रखने होंगे। इस कार्य के लिए कितने सुरक्षा कर्मचारी रखे जावेगे, यह लिखित रूप में इस कार्यालय द्वारा सूचित किया जावेगा।
18. यदि अनुबन्ध अवधि के दौरान नियुक्त किसी सुरक्षाकर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट लग जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार जो भी भुगतान तथा दायित्व निर्धारित होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी। सभी सुरक्षा कर्मों का दुर्घटना/मेडिकल बीमा करना आवश्यक होगा।
19. श्रम अधिनियम एवं अन्य नियम, अधिनियम जो भी सुरक्षा कर्मियों के लिए लागू होंगे के अन्तर्गत सुरक्षा संस्था को सम्पूर्ण रिकार्ड रखने होंगे एवं आवश्यक होने पर संघ प्रबन्धन को प्रस्तुत करना होगा।
20. संघ एवं संघ के अधिनस्थ उपकेन्द्रों के संयंत्र परिसर में राजस्थान बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही ठेका श्रमिकों के कर्मकारों को प्रवेश करवाया जाना आवश्यक होगा। यदि ठेका अवधि में संघ परिसर में किसी भी बाल श्रमिक को पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।
21. भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा एवं इसके द्वारा काम पर लगाये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के सम्बन्ध में ही भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा अंशदान की कटौती नियमानुसार कर कर्मचारी राज्य बीमा/भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित जमा करानी होगी एवं इस संबंध में संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा के नियोक्ता का अंशदान एवं जी. एस. टी. का पूर्णभरण संघ द्वारा संस्था को देय होगा।
22. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट, औद्योगिक वि.अधि./भविष्य निधि/ई.एस.आई. एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत संघ को सभी दायित्वों, हानि, क्लेम, क्षतिपूर्ति, व्यय आदि से मुक्त रखना होगा। किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, परिपत्र सूचना जो कि सुरक्षा संस्था के कर्मचारियों से संबंधित है, से भी संघ मुक्त होगा व सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी। इस सम्बन्ध में सुरक्षा संस्था को यदि पी.एफ./ई.एस. आई. की छूट मिली हुई है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पी.एफ./ई.एस.आई./ जी. एस. टी. की कटौती नियमानुसार कर, सम्बन्धित विभागों में जमा करा कर जमा किए चालानों की प्रति उदयपुर डेयरी में प्रस्तुत करनी होगी, तभी अगले माह का भुगतान मिलेगा।
23. सुरक्षा संस्था के किसी भी कर्मकार के द्वारा कार्य अवधि अथवा उसके बाद यदि रोजगार दिये जाने के संबंध में कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रमन्यायालय अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी एवं वाद के निपटारे तक जमा कराई गई सिक्युरिटी राशि नहीं लौटाई जावेगी।
24. सुरक्षा संस्था द्वारा जिन Ex Service man कर्मकारों से सुरक्षा कार्य करवाया जायेगा, नियमानुसार Ex Service man की श्रेणी में होने चाहिये वे सभी सक्रिय मिलिट्री सेवा से निवृत्त होंगे व उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की प्रतियां तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र संघ कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। जिसकी एक छाया प्रति सुरक्षाकर्मी को कार्य के समय सदैव अपने पास रखनी होगी। ऐसे सभी सुरक्षा कर्मियों का संघ प्रशासन के अधिकृत अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिया जा सकता है जिसके उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही ड्यूटी पर तैनात किया जायेगा। उनके आचरण के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस से प्रमाणीकरण करवाया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा भिजवाये गये सुरक्षाकर्मी अनुभवी व प्रशिक्षित होंगे एवं परिसर में अनुशासन बनाये रखेंगे। किसी भी स्तर पर ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार या आचरण की यदि कोई शिकायत मिलती है अथवा सुरक्षा कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बरतने पर उस कर्मचारी को तुरन्त हटाकर सूचित करना होगा। इसके अभाव में सुरक्षा संस्था के विरुद्ध शास्ति आरोपित की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

25. सुरक्षा संस्था सम्पूर्ण सुरक्षा कार्य संघ द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अथवा प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करेगी। सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी द्वारा संघ/उपकेन्द्रों पर चोरी अथवा बदनीयती से किये जाने वाली हानि के लिए नुकसान का दस गुना शास्ति आरोपित की जा सकती हैं। उक्त कृत्य में पाये गये दोषी कर्मी का संघ में प्रवेश वर्जित करते हुए संबंधित संस्था को समस्त कार्यों के लिए अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित किया जा सकता है।
26. सुरक्षा संस्था को संघ के साथ किये गये समझौते की दिनांक से एक वर्ष की अवधि मय क्रेट प्रबन्धन कार्य करना स्वीकार करने की दिनांक से (दोनों में से जो भी पहले हो,) के लिए आवंटित किया जावेगा। यदि संस्था द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व छोड़ दिया जाता है तो उनके द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि जब्त करली जावेगी एवं उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा। स्वीकृत अवधि पूर्ण होने पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जा सकेगी। मूल अनुबंध अवधि अथवा नवीनीकरण के पश्चात अनुबंध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता है तो प्रबंधन अनुबंध अवधि बढ़ा सकता है जो सुरक्षा संस्था को मान्य होगी। अनुबंध अवधि बढ़ाने का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का होगा। निर्धारित शर्तों का 5000/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य आवंटन किया जावेगा व संघ में रुपये 2,50,000/- (दो लाख पचास रुपये) सुरक्षा राशि के मद में एवं रुपये 7,50,000/- (अक्षरे सात लाख पचास हजार रु. मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करवाने होगी। कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में अमानत, सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी जब्त की जा सकती हैं।
27. सुरक्षा कर्मियों को आग बुझाने वाले उपकरणों को चलाने की पूर्ण जानकारी होना और सुरक्षा सुपरवाइजर को प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में जानकारी होना अनिवार्य हैं। आग बुझाने वाले उपकरणों को सदैव चालू हालत में रखा जावेगा व आवश्यकता पड़ने पर इनका न्यूनतम समय में उपयोग में लाने व आग बुझाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।
28. संघ परिसर/उपकेन्द्र परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने अथवा चोरी होने पर सुरक्षा संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वे स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करे एवं रिपोर्ट दर्ज करावें। पुलिस द्वारा मांगने पर सहयोग देना होगा। चोरी गई वस्तु की कीमत की वसूली सुरक्षा एजेन्सी से की जावेगी।
29. सुरक्षा संस्था को संघ द्वारा मांगने पर डिटेक्टिव्स सर्विसेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान अलग से देय होगा।
30. संघ को अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा संस्था को इन्हीं सेवाशर्तों पर तुरन्त अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने होंगे।
31. आवश्यक होने पर सिक्योरिटी संस्था को विडियोग्राफी की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए अलग से भुगतान देय होगा।
32. संघ कार्यालय भवन/डेयरी संयंत्र /प्रशिक्षण केन्द्र भवन तथा अन्य कोई आदेशित परिसर में स्थित संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं आगन्तुकों तथा आवासीय कालोनी की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को किसी भी समय क्षति पहुंचती है और यह पाया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षा कार्य में लापरवाही बरती है अथवा क्षति रोकने में किसी प्रकार का संतोषजनक प्रयास नहीं किया है तो उसकी भरपाई सुरक्षा संस्था से की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

33. सुरक्षा संस्था द्वारा लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को एक समान पूर्ण वर्दी/डण्डा/टार्च/सीटी तथा सुरक्षा के लिए अन्य आवश्यक सामान सुरक्षा संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। जिनके बिना सुरक्षा कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लिया जावेगा। साथ ही समस्त गार्ड/सुपरवाइजर्स के परिचय पत्र बनवाने होंगे जिसे प्रत्येक गार्ड/सुपरवाइजर ड्यूटी समय में प्रदर्शित करेगा। सुरक्षा संस्था को समस्त गार्ड/सुपरवाइजर्स को Name Plate देनी होगी जिसे सुरक्षा कर्मी / सुपरवाइजर ड्यूटी के दौरान लगाना आवश्यक होगा।
34. सुरक्षा संस्था को प्रतिदिन निर्धारित संख्या में सुरक्षा कर्मचारी भिजवाने आवश्यक होंगे। सुरक्षाकर्मी के सोते पाये जाने पर तथा निर्देशों की पालना में लापरवाही बरतते पाये जाने पर रुपये 500/- व अधिक की शारित आरोपित की जावेगी। प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश (संवैतनीक) अनिवार्य रूप से देना होगा जिसका उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा।
35. संघ कार्यालयों एवं संयंत्र परिसर/उपकेन्द्र परिसर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्दिष्ट ड्यूटी निष्पादन के माध्यम से चुस्त पर्यवेक्षीय नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था व परिसर से बाहर आने व जाने वाले सामान का सही विवरण निर्धारित पंजिकाओं में रखना होगा।
36. संघ कार्यालयों एवं संयंत्र परिसर में कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा बिना पूर्व अनुमति के किसी आगन्तुक को प्रवेश अनुमत नहीं किया जावेगा। इसकी त्रुटि पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जावेगी।
37. संघ के क्रेट्स के चालू स्टॉक की जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी जिसका प्रतिमाह भौतिक सत्यापन संघ प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में कम पाये जाने वाले क्रेट्स की राशि वर्तमान कय मूल्य के आधार पर सुरक्षा संस्था के अगले माह के बिल से कटौती की जावेगी।
38. संघ उपकेन्द्र परिसर में आने वाले दुग्ध व दुग्ध पदार्थ की मात्रा व उसके कन्टेनर्स के चालान की मात्रा व आते समय आने वाली खाली कन्टेनर्स की वास्तविक मात्रा का मिलान सुरक्षा कर्मियों द्वारा सावधानी से किया जावेगा।
39. संघ कार्यालय/डेयरी परिसर/उपकेन्द्र परिसर में उपस्थिति अंकित करने की पंजिकाओं व उपकरण की सम्पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व सुरक्षा संस्था का होगा।
40. संघ के कार्यालय, दुग्ध संयंत्र, संघ परिसर, पालर उपकेन्द्र कार्यालयों एवं अवशीतन केन्द्रों तथा इनके भण्डार केश विभाग में रखे संघ के सामान व नकदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा संस्था की होगी।
41. परिसर में आवारा पशु, कुत्ते इत्यादि नहीं हों, यह सुनिश्चित सुरक्षा संस्था द्वारा किया जावेगा। अन्यथा प्रति पशु/कुत्ता 100/- रुपये की शारित लगायी जा सकती है।
42. पी.एफ./ई.एस.आई. अशंदान एवं जी. एस. टी. भुगतान की पिछले माह की कॉपी व पेमेन्ट की कॉपी अगले बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जायेगी
43. संस्था पर किसी प्रकार के बकाया की वसूली उनके पैन्डिंग बिल, सुरक्षा राशि/ बैंक गारंटी तथा अन्य किसी भुगतान योग्य राशि अथवा सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके हर्जे खर्चे सहित राशि वसूल की जावेगी।
44. यदि निविदादाता द्वारा संघ में श्रमिक आपूर्ति/जोबवर्क/सामान की सप्लाई/सिटीसप्लाई/दुग्ध पथ में परिवहन/आरएमजी-बीएमसी परिवहन या अन्य कोई ठेका लिया हुआ है तो वह निविदादाता सुरक्षा कार्य की निविदा में भाग नहीं ले सकेगा। ऐसे निविदादाता की निविदाएँ तकनीकी निविदा स्तर पर ही अस्वीकार कर दी जावेगी। सुरक्षा कार्य की निविदा में सफल निविदादाता भविष्य में भी कोई अन्य ठेका नहीं दिया जा सकेगा।
45. अगर किसी निविदादाता के संबंध में भविष्य निधि/ई.एस.आई./जी. एस. टी. के चालान/रीटर्न जमा कराने या इन विषयों में अन्य अनियमितता या अवहेलना की गई है तो उक्त निविदादाता का तकनीकी भाग I को निरस्त किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

46. अगर सफल निविदादाता द्वारा भविष्य निधि/ई.एस.आई /जी. एस. टी. के चालान/ रीटर्न जमा कराने या इन विषयों में अन्य अनियमितता 3 माह या ज्यादा तक की जाती है तो उक्त निविदादाता का अनुबंध बिना सूचना के निरस्त किया जा सकेगा तथा संबंधित निविदादाता को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
47. अनुबंधक को संघ की नोमीनल सदस्यता लेनी होगी।
48. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
49. विवाचन (आरबीट्रेशन) – उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर और निविदादाता के मध्य इन शर्तों में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत अनुमान्य होगा। यदि संघ के मत से कोई निविदादाता असंतुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को सलग्न Annexure -3 के अनुसार (Grivance redresial during procurement process) के अनुसार किया जा सकता है इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां उसी स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत होगी जिस स्थान पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है अर्थात् उदयपुर (राजस्थान) होगा।
50. वित्तीय बिड में दो या दो से अधिक फर्मों की दर एक समान आने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा—(निम्न स्कोर-कार्ड/मार्किंग स्कीम के अनुसार ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता फर्म को सफल माना जायेगा)

DETAILED MARKING SCHEME FOR FINANCIAL EVALUATION IN CASE OF RECEIPT OF SAME RATES BY TWO OR MORE PARTIES.		
S.No.	CRITERIA	MAX. MARKS
1.	Bidding Firm in Operation under The Private Security Agencies (Reg.) Act., 2005 अथवा दी राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006.	
	0-3 Years	
	>3-10 Years	5
	More Than 10 Years	10
		15
2.	Experience of Providing Security Service & Crate Management in a Multi-Product Dairy Plant	
	3 Years	
	>3-5 Years	5
	More Than 5 Years	10
		15
3.	Average Annual Turn-Over during the last FY	
	Upto 02 Crore	
	>2-5 Crore	5
	More than 10 Crore	10
		15
4.	Availability of security Guards-Ex-Serviceman & Civilian during the last 3 years with minimum one Order of supply of min. 100 Security Guards.	
	Upto 100 Nos.	
	more than 100	10
		20
5.	Bidding Firm having License राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्नमूलन) अधिनियम, 1970	
	If Undertaking is submitted (As per the requirement in etchincal terms)	
	If Bidding Firm is having License	5
		10
6.	Availability of Registration in Cooperative Act. Valid since last	
	10 Years	
	More Than 15 Years	5
		10
7.	Worker strength and experience in large volume, multistate releant assignments.	
	Total Worker continously on rolls for last three years, will be verified from EPF portal	
	Upto 100 Workers	
	100-200 Workers	5
	More than 300 Workers	10
		15

51. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र उदयपुर ही मान्य होगा। उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ कर समझ ली हैं एवं मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रबन्ध संचालक, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उदयपुर निविदा की विशेष शर्तें

1. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार प्रार्थी संस्था को नहीं होगा ।
2. आवेदक संस्था के अधिकृत/मनोनीत सदस्य के द्वारा निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों एवं आवश्यक सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना आवश्यक होगा ।
3. आवेदक संस्था को सहकारी/सरकारी संस्था में कम से कम तीन वर्षों का सुरक्षा व्यवस्था के कार्य का अनुभव आवश्यक है ।
4. संघ में आवश्यकता होने पर गनमैनों की व्यवस्था करनी होगी। जिनके पास स्वयं की चालू हालत की लाइसेंस युक्त गन होनी चाहिये।
5. सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा पूर्व में जिन संस्थाओं में कार्य किये हैं उनके वर्क ऑर्डर/अनुभव प्रमाण पत्र को सलग्न करना आवश्यक है।
6. संघ के साथ विवादित सुरक्षा संस्थान के निविदा प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. वर्तमान में कुल 57 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुये हैं। प्रबंध संचालक, उदयपुर दुग्ध संघ को संघ के आवश्यकतानुसार कम/ज्यादा करने की संपूर्ण अधिकार है।
8. सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या में से 10 सिविलियन्स को रखा जा सकेगा, जिनका भुगतान Annexure (A) पर दी गई सारणी अनुसार होगा। प्रबंध संचालक, उदयपुर दुग्ध संघ को संघ के आवश्यकतानुसार इन्हें कम ज्यादा करने का संपूर्ण अधिकार है।
9. (अ) दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को उनके द्वारा नियुक्त भुतपूर्व सैनिकों का भुगतान निविदा फार्म में अंकित Annexure-A के मापदण्डों एवं निर्धारित दरों निम्नानुसार किया जायेगा :
संघ द्वारा निर्धारित दर + रेस्ट रिट्रीवींग राशि + नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान मय प्रशासनीक खर्च (PF) + नियोक्ता का ई.एस.आई. अंशदान + उपरोक्त पर सुरक्षा एजेन्सी का टेंडर स्वीकृत सर्विस चार्ज + नियमानुसार जी. एस. टी.। उपरोक्त पर भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा भविष्य में लागू किये जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
- (ब) सुरक्षा संस्था सिविलियन्स सुरक्षाकर्मी हेतु देय भुगतान निम्नानुसार होगा :
राज्य सरकार द्वारा कुशल श्रमिक के लिये निर्धारित दर + नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान मय प्रशासनीक खर्च (PF) + नियोक्ता का ई.एस.आई. अंशदान + उपरोक्त पर सुरक्षा एजेन्सी का टेंडर स्वीकृत सर्विस चार्ज + नियमानुसार जी. एस. टी.। उपरोक्त पर भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा भविष्य में लागू किये जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

उपरोक्तानुसार निविदादाता सुरक्षा संस्था को भाग II में संबंधित BOQ कोलम में केवल % सर्विस चार्ज की दर ही अंकित करनी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

10. निधारित पार्ट II BOQ मे निविदादाता सुरक्षा एजेन्सी द्वारा 1% से कम दर भरने पर, निविदा दर मान्य नहीं होगी।
11. सुरक्षा एजेन्सी को गत किन्ही तीन वर्षों (Financial Year 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 or 2024-25) का औसत टर्नओवर कम से कम 65.00 लाख होना चाहिये। चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा अंकक्षित लाभ हानि खाते की प्रतिलिपी अपलोड करे (with UDIN Number)।
- 12 विभिन्न निविदादाओ से प्राप्त दरे यदि समान होती हे तो सफल पार्टी का चयन निम्न मापदण्डो के आधार पर वरियता तय की जाएगी। सफल पार्टी का चयन अधिक वरियता वाली एजेन्सी का किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का होगा। (कृपया तकनिकी निविदा प्रपत्र पृष्ठ संख्या 12 एवं शर्त संख्या 50 का अवलोकन करें)।

उपरोक्त सभी शर्तें पढ कर समझ ली है। एवं मान्य है। नियम व शर्तो मे किसी भी प्रकार की जानकारी/विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय मे सम्पर्क किया जा सकता हे। नियम व शर्तो के बारे मे अनभिज्ञता होने की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा फार्म (भाग - "I") के साथ अपलोड करें

अण्डर टैकिंग/शपथ पत्र
(सुरक्षा संस्था के लेटर पेड पर)

मैं पुत्र श्री उम्र..... वर्ष, निवासी
.....तहसील जिला (राज.) का हूँ, मैं शपथ पूर्वक
यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :-

1. यह है कि मैं उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर से प्राप्त ठेकों के निमित्त/सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति हैं। राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरंत जमा करा दूंगा।
2. यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते हैं।
3. यह कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल-अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरा वारिशान की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं पुत्र श्री उम्र वर्ष, निवासी

यह शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश-हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम निविदादाता

नाम सुरक्षा संस्था

पता

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure - A

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर

क संख्या	पदनाम	अनुमानित संख्या	वर्तमान दर (मासिक राशि)	
1	Security Officer	1	39,930/-	सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरें।
2	Security Supervisor	6	26,840/-	
3	Security Guard with Gunman	1	20,240/-	
4	Security Guard without Arms	39	18,370/-	
5	Computer opretor civil	1	22,660/-	
6	Security Guard (Civilian)	9	9334/-	As per existing approved Skilled Labour Rate by Govt. of Rajasthan being

1. भूतपूर्व सैनिकों की दरें सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तित दरें लागू रहेगी।
2. उक्त दर्शायी गई राशि पर नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा के नियोक्ता अशंदा न मय अन्य प्रशासनीक खर्च (PF), टेडर स्वीकृत सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) एवं जी. एस. टी. संघ द्वारा देय रहेगा। उपरोक्त पर भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा भविष्य में लागू किये जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
3. सफल आवेदक सुरक्षा संस्था को देय मासिक भुगतान से आयकर नियमों के अनुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

PART-II
Financial/ Price Bid

(THIS FORMAT IS FOR REFERENCE ONLY)

ITEM RATE BOQ

Tender Inviting Authority: Managing Director, UDUSS LTD.,

Name of Work: Security work for Udaipur Milk Union :

Contract No. ----/20---

Bidder Name:		
PRICE SCHEDULE		
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)		
NUMBER	TEXT#	NUMBER#
Sl. NO.	ITEM DESCRIPTION	PERCENTAGE IN FIGURES TO BE ENTERED BY THE BIDDER
1	2	3
1	% SERVICE CHARGES	

Note:-

1. उदयपुर दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान निविदा फार्म के Annexure-A की दरो पर किया जायेगा। तथा सुरक्षा कर्मी (सिविलियन) को भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा कुशल श्रमिक की न्युनतम दर पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त P.F., E.S.I का नियोक्ता का नियमानुसार अंशदान मय अन्य प्रशासनीक खर्च (PF) के देय होंगे। जी. एस. टी. अलग से देय होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित दरे पर सुरक्षा कर्मियों को भुगतान करने हेतू सुरक्षा एजेन्सी का मासिक पारिश्रमीक प्रभार (सर्विस चार्जेज), संघ द्वारा देय मजदूरी भुगतान का दर प्रतिशत होगा जो कि ई निविदा के पार्ट II के BOQ फार्मेट में Online अंकित करना होगा।

2. BOQ % सर्विस चार्जेज में 1% से कम दर भरने पर, निविदा दर मान्य नहीं होगी, उक्त निविदादाता की दर **Reject** कर दी जायेगी।

BOQ में भरी जाने वाले सर्विस चार्ज शून्य के पश्चात दो अकों तक ही मान्य होंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा BOQ में सर्विस चार्ज दो अकों से अधिक भरा जाता है तो वह दर मान्य नहीं होगी व इस संबंध में उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

3. **Tenderer will have to comply with G.S.T. as applicable.**

4. The above Item Rate BOQ format is for reference only. No hand written rate is to be fill here.

The offered quoted tendered rate for % Service Charges is to be filled On Line in BOQ Sheet only at e-proc site .

जी.एस.टी. पृथक से देय होगा लेकिन चालान मय चालान रसीद आगामी बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा फार्म (भाग - "I") के साथ अपलोड करें

काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) हेतु प्रोफार्मा

शपथ पत्र

(500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर)

मैं निविदादाता सुपुत्र श्री उम्र.....
निवासी यह
शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ, कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार का
किसी भी संस्थान /समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की
गयी है तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा अन्य राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया
गया है। उक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में
स्वतंत्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम निविदादाता

नाम सुरक्षा संस्था

पता

निविदादाता के हस्ताक्षर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**Declaration by the Bidder**

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan) for procurement of
in response to their Notice Inviting bid No.....Dated I/we hereby
 declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement.
- (b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) cancellation of a procurement process.
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal

.....
.....(Supported by an Affidavit)

7. Prayer:.....
.....

Place

Date.....

Appellant's Signature

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal .

- (a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

- (iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award
(In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .

GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 4 : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

- i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

Signature of Bidder